

पत्रांक:- 2032 / 13-लोहाली दिनांक 13/12/2018

सेवा में,

अधिशाली अभियंता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0
ज्योलीकोट नैनीताल।

विषय :- जनपद-नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लाक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी0/यू0पी0सी0/06/07/2018/एफ0सी0/1587 दिनांक 31.10.2018. एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 1321/FP/UK/ROAD/23279/2016 देहरादून, दिनांक 19.11.2018 इस कार्यालय का पत्रांक 1876/13-लोहाली दिनांक 1-12-2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है।

1- शर्त न0 1 के अनुपालन में इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि में संशोधित कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की धनराशि रू0 27,79,683.00 (रू0 सताई लाख उडासी हजार छः सौ तिरासी) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 972/3-5-2 दिनांक 21-11-2017 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम हरिनगर हरतोला सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण एवं नामान्तरण किया जाना है।

2- कम से कम 50प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

3- शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 42,14,438.00 (रू0 बयालीस लाख चौदह हजार चार सौ अडतीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

4- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 1 में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगे, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेंगे, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगे।

5- शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी।

6- शर्त न0 5 में निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी दिनांक 5-2-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) तथा सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण CAMPA के तदर्थ निकाय खाता में जमा कराया जाय। धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।

7- शर्त न0 6 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचन बद्धता प्रेषित की जानी है।

8- शर्त न0 7 State Government will make the entry of private land marked for muck disposal in online para B 2.4 online Part I.

9-शर्त न० 8 State Govt. will submit the original hard copy part I to V, Site inspection report of DFO and Justification for locating the project in forest land duly c/s by DFO

10-शर्त न० 9 The State Govt. will submit plantation scheme for 2000 trees in addition to 7000 trees submitted and uploaded online as total MDF is 9.00 ha now of proposed CA area.

11- उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न० 2 में उल्लेख किया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन भारत सरकार के forestsclclearance.nic.in पर Online अपने user account में जाकर stagell clearance में पहले mutatisation की detail भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या Online नोडल अधिकारी देहरादून के कार्यालय को प्रेषित की जानी है तथा हार्ड कापी इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। तत्पश्चात् अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत्त नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।